क.रा.बी.नि. E.S.I.C	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE COPORATION HOSPITAL (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)	सत्यमेव जयते	प्लाट सं – 41, सेक्टर – 03, आई.एम.टी. मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा – 122050 Plot No. - 41, Sector - 03, I.M.T. Manesar, Gurugram, Haryana - 122050 दूरभाष/Tel: 0124-4618701 ई-मेल/Email: ms-manesar.hr@esic.nic.in

सं.133-ए/13/01/2022.रा.भा.(विराकास) दिनांक: 18.05.2023

परिपत्र

विषय:- क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (अप्रैल-जून, 2023) का मसौदा कार्यवृत्त।

11 मई, 2023 को संपन्न क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का मसौदा कार्यवृत्त आपके सादर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

इसे चिकित्सा अधीक्षक महोदया के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक: यथोपरि

(चितरंजन कुमार दास)
उप निदेशक (रा.भा. प्रभारी)
सदस्य सचिव

का.प्रति

सेवा में,

1. महानिदेशक (राजभाषा), मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली को सादर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. अस्पताल की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को आवश्यक कार्रवाई हेतु। (ई-मेल द्वारा)
3. सभी शाखाएं/चिकित्सा विभाग, क.रा.बी. निगम अस्पताल, मानेसर को आवश्यक कार्रवाई हेतु। (ई-मेल द्वारा)
4. अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, (रा.भा.का.का.), वाप्कोस लिमिटेड, 76-सी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम – 122015 को सादर सूचनार्थ।
5. आई.टी. प्रबंधक, क.रा.बी.नि. अस्पताल, मानेसर को अस्पताल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

918 दिनांक 23/05/23
919

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का मसौदा कार्यवृत्त

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही(अप्रैल-जून, 2023) बैठक 11 मई, 2023 को अपराह्न 02:30 बजे डॉ. श्रुति विरमानी, चिकित्सा अधीक्षक महोदया की अध्यक्षता में सम्मलेन कक्ष में आयोजित की गई।

सर्वप्रथम कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने अध्यक्ष महोदया डॉ. श्रुति विरमानी, चिकित्सा अधीक्षक एवं उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार बैठक की कार्रवाई आरंभ करते हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि यह बैठक अप्रैल-जून, 2023 तिमाही हेतु है। इस बैठक में मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी तथा दिनांक 16 फरवरी, 2023 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई पर भी चर्चा की जाएगी। इसके उपरांत अध्यक्ष महोदया की अनुमति से कार्यसूची अनुसार मदवार चर्चा आरंभ की गई। कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि हम सभी को राजभाषा से संबंधित सभी नियमों एवं आदेशों की अनिवार्य रूप से अनुपालना करनी है तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु सकारात्मक प्रयास करने है।

मद सं. 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि पिछली बैठक का आयोजन 16 फरवरी, 2023 को किया गया था। उक्त बैठक का मसौदा कार्यवृत्त विराकास के सभी सदस्यों एवं शाखाओं में अग्रिम कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया तथा सदस्यों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे। चूँकि किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अध्यक्ष महोदया यदि सहमत हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

मद सं. 2	पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर चर्चा करते हुए बताया कि पिछली बैठक का कार्यवृत्त मुख्यालय सहित अन्य संबंधितों को प्रेषित कर दिया गया था। उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर निम्नानुसार कार्रवाई की गई:-

1. अस्पताल के चिकित्सा विभागों एवं वार्डों में प्रयोग में लाए जा रहें सभी प्रकार के प्रारूप/ फॉर्म आदि जो केवल अंग्रेजी में ही ही मुद्रित है उनको द्विभाषी रूप में बनवाने के संबंध में बताया कि सहायक नर्सिंग अधीक्षक द्वारा ऐसे अनेक प्रारूप/फॉर्म राजभाषा शाखा को उपलब्ध कराएं गए जो अंगेजी में ही मुद्रित थे। उक्त प्रारूपों/फॉर्म को राजभाषा शाखा द्वारा द्विभाषी रूप में तैयार किया जा रहा है।

2. शाखाओं और चिकित्सा विभागों/वार्डों के नाम की पट्टिका द्विभाषी रूप में बनवाने के लिए सामान्य शाखा को यू.ओ. नोट दिया गया। उक्त पर कार्रवाई की जा रही है।

3. धारा 3(3) के सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों और निर्धारित जांच बिंदुओं के द्विभाषी रूप में लैमिनेटेड रंगीन पोस्टर बनवाने के लिए सामान्य शाखा को यू.ओ. नोट दिया गया। उक्त पर कार्रवाई की जा रही है।

4. धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार के दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं।

5. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखना तथा ग क्षेत्र को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते द्विभाषी रूप में लिखने के संबंध में प्रेषण शाखा को यू.ओ. नोट दिया गया तथा प्रेषण शाखा द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

मद सं. 3	हिन्दी प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

अध्यक्ष महोदया के निर्देशानुसार कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि यह सराहनीय है कि राजभाषा नियम 5 की अनुपालना सभी शाखाओं द्वारा पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा रही है | गत तिमाही में हिंदी में कुल 272 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 167 पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए तथा 105 पत्रों का जवाब देना अपेक्षित नहीं था ।

<u>मार्च-2023 को समाप्त तिमाही के मूल हिंदी पत्राचार संबंधी आंकड़ें</u>

	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या	हिंदी/द्विभाषी रूप में	अंग्रेजी में	हिंदी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत
क क्षेत्र	147	133	14	90.48
ख क्षेत्र	0	0	0	0
ग क्षेत्र	0	0	0	0

<u>मार्च-2023 को समाप्त तिमाही के टिप्पण संबंधी आंकड़ें</u>

कुल संख्या	हिंदी में	अंग्रेजी में	प्रतिशत
1300	1150	150	88

मूल हिंदी पत्राचार पर गंभीरता से चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदया ने कहा कि यह एक सुखद संकेत है कि दिसम्बर-2022 तिमाही की अपेक्षा मार्च-2023 तिमाही में मूल हिंदी पत्राचार में कमी आई है। अध्यक्ष महोदया ने उपस्थित शाखाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि मूल हिंदी पत्राचार लक्ष्य जो कि शत-प्रतिशत होना चाहिए, को प्राप्त किया जा सकें।

साथ ही कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि हिंदी टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है लेकिन फिर भी हमें शत-प्रतिशत टिप्पण कार्य हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी में कुल 301 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 118 पत्रों के उत्तर हिंदी में एवं 53 पत्रों का जवाब अंग्रेजी में दिया गया जबकि 130 पत्रों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। अध्यक्ष महोदया ने इस पर कहा कि अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का प्रयास करें।

मद सं. 4	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी देते हुए कहा कि इन सभी 14 प्रकार के दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषिक रुप में जारी किया जाना चाहिए तथा ऐसे दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि इसे द्विभाषिक रुप में तैयार किया गया तथा निष्पादित किया गया है । राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कुल 113 दस्तावेज जारी किए गए तथा सभी द्विभाषी में जारी किए गए ।

मद सं. 5	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा

वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि राजभाषा विभाग एवं मुख्यालय निर्देशानुसार दिनांक 19.04.2023 को वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 जारी किया गया । तदुपरांत सभी सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम की संक्षिप्त प्रति

भी उपलब्ध करवाई गई तथा उन पर विस्तृत चर्चा भी गई । सदस्य सचिव ने कहा कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों के लिए राजभाषा संबंधी जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमें उनकी प्राप्ति हेतु हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए । इस पर अध्यक्ष महोदया ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 के निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्य करें ।

मद सं. 6	निर्धारित जाँच बिंदुओं पर चर्चा

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने बताया कि मुख्यालय द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु अलग-अलग मदों पर जाँच बिंदु तैयार किए गए हैं । दिनांक 19.04.2023 को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए स्थापित जाँच बिंदुओं को जारी किया गया । साथ ही सभी सदस्यों को जाँच-बिंदुओं की प्रति भी उपलब्ध करवाई गई तथा उन पर विस्तृत चर्चा भी गई । इस पर अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित अधिकारियों को निदेश दिए कि वे संबंधित पत्रों पर हस्ताक्षर करते समय निर्धारित जाँच बिंदुओं को ध्यान में रखें ।

मद सं. 7	राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 का अनुपालन

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने समिति को बताया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाए । अध्यक्ष महोदया को नियम 5 की स्थिति के विषय में अवगत कराया गया कि कार्यालय में अनिवार्य रूप से इसकी अनुपालना की जा रही है । गत तिमाही में 385 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए और अपेक्षित 221 पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया ।

मद सं. 7	चिकित्सा विभागों आदि में हिन्दी प्रयोग की स्थिति

चिकित्सा विभागों में राजभाषा संबंधी कार्यों के लिए नामित श्रीमती एकता, सहायक नर्सिंग अधीक्षक एवं श्री राजकुमार धायल, सहायक नर्सिंग अधीक्षक द्वारा चिकित्सा विभागों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं ।

मद सं. 8	अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य विषय

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदया के अनुमति से निम्नलिखित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई:-

1. चिकित्सा विभागों/शाखाओं और शाखाओं का राजभाषायी निरीक्षण करना - **राजभाषा शाखा**
2. प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समस्त कार्यालयी कार्य हिंदी में करना – **सभी शाखाएं**
3. राजभाषा मासिक प्रगति रिपोर्ट हेतु आंकड़ें समय पर उपलब्ध कराना - **सभी शाखाएं**
4. मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि करना - **सभी शाखाएं**
5. धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में जारी किए जाए - **सभी शाखाएं**

अध्यक्ष महोदया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि इस बैठक में राजभाषा प्रगति, राजभाषा कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है तथा हमें संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार ही गंभीरता से कार्य करना है ताकि हम शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। हम सभी को मूल हिंदी पत्राचार के लक्ष्य प्राप्ति हेतु यथासंभव प्रयास करने हैं। साथ ही चिकित्सा अधीक्षक महोदया ने बताया कि अस्पताल की शाखाओं वार्डों एवं चिकित्सा विभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण करें ताकि वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकें।

अंत में अध्यक्ष महोदया एवं उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया।

सदस्य सचिव

अनुलग्नक- 'क'

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, मानेसर की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष एवं सदस्यों की सूची:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विराकास पद	प्रवीणता प्राप्त/ कार्यसाधक ज्ञान	हिंदी में कार्य की प्रतिशतता
1.	डॉ. श्रुति विरमानी, चिकित्सा अधीक्षक	अध्यक्षा	कार्यसाधक ज्ञान	80%
2.	डॉ. अंजनजीत कौर, सहायक चिकित्सा अधीक्षक	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान	90%
3.	डॉ. निहारिका कपूर, विशेषज्ञ	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान	90%
4.	डॉ. आनंद कुमार, विशेषज्ञ	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान	80%
5.	डॉ. अम्तेश्वर कुमार प्रसाद, बी.चि.अ.-ग्रेड-I	सदस्य	कार्यसाधक ज्ञान	80%
6.	श्री विरेन्द्र सिंह, कार्यालय अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	100%
7.	श्रीमती एकता, सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	100%
8.	श्री राजेश कुमार, सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	100%
9.	श्री राजकुमार धायल, सहायक नर्सिंग अधीक्षक	सदस्य	प्रवीणता प्राप्त	100%
10.	श्री जगमोहन मीणा, सहायक निदेशक	का.स.स.	प्रवीणता प्राप्त	100%

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री बिरजू सिंह, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, श्री हिमांशु जांगिड़-आशुलिपिक, श्री देवराज, फार्मासिस्ट भी सहायतार्थ उपस्थित थे ।

****